10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(1)

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालीयर केम्प भोपाल म.प्र.।

-=-

रा0पु0क्र0:- /16 निग - 1336-PBR-16

शिवकिशोर पिता तुलाराम चौधरी उम्र 45 वर्ष,

निवासी तिवरखेड तहसील मुलताई जिला बैतूल म.प्र.।

==== पुनरीक्षणकर्ता

(63)

।। बनाम ।।

-=-=-=-=-=-

1- वासुदेव पिताउमराव साहू उम्र 50 वर्ष,

2- राजेश पिता उमराव साहू उम्र 40 वर्ष,

दोनो निवासी ग्राम तिवरखेड तहसील मुलताई

जिला बैतूल म.प्र.।

====== गैर पुनरीक्षणकर्ता

श्री टी. के. चौधरी अधिवक्ता, मुलताई जिला बैतूल द्वारा आज दिनांक 21/3/2016 को प्रस्तुत।

अधीक्षक

कार्यालय आयुक्त नर्मदा पुरम संभाग

// पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 //

-=-

पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण अधिनियम न्यायालय श्रीमान तहसीलदार मुलताई तहसील मुलताई जिला बैतूल म.प्र. द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 23/13 वर्ष 2012-13 मे पारित आदेश दिनांक 26/2/2016 से परिवेदित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1336–पीबीआर/2016 जिला बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–05–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 26–2–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक के प्रतिपरीक्षण के अवसर समाप्त किये गये हैं । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि तहसीलदार का आदेश दिनांक 26–2–2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे आवेदक को प्रतिपरीक्षण का एक अंतिम अवसर देकर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करें । तदनुसार तहसीलदार का आदेश दिनांक 26–2–2016 निरस्त करते हुये प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है । अध्यक्ष	